सं0-35 /2021/227(2)/23-12-2021-700(ए0डी0बी0)/14

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ: दिनांक 11 जून, 2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऋण से सहायतित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कंसल्टेंसी के कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-981बीजी/7बी0-मांग/2020-21, दिनांक 17.05.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित प्रमुख जिला मार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत कंसल्टेंसी कार्यों हेतु निम्न विवरण के अनुसार रू0 310.00 लाख (रूपये तीन करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	**कार्यदायी संस्था का नाम**	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत लागत**	**अब तक आवंटन/व्यय**	**अवुमक्त धनराशि**
1	विश्व बैंक खण्ड-1, लखनऊ	एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित उ0प्र0 प्रमुख जिला मार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम चरण के स्वीकृत कार्यों के सुपरविजन हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति कार्य	2774.18	2084.98	300.00
2	विश्व बैंक खण्ड-1, लखनऊ	एशियन विकास बैंक के ऋण से सहायतित उ0प्र0 प्रमुख जिला मार्ग परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन इकाई में वितीय प्रबंधन फर्म, व्यक्तिगत पर्यावरणीय एवं व्यक्तिगत सामाजिक कंसल्टेंट्स की नियुक्ति का कार्य	129.41	84.15	10.00
		योग	**2903.59**	**2169.13**	**310.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है।

(4) एशियन विकास बैंक के ऋण से प्रस्तावित चालू कार्यों पर धनराशि की मांग हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता से मार्ग निर्माण की निरीक्षण रिपोर्ट तथा निर्माणाधीन मार्गों के अद्यतन फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराया जाय।

(5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक की गाइड लाइन्स तथा भारत सरकार की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(7) प्रकरण में अन्य प्रर्वतीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपरोक्त तालिका में अंकित कार्य के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्य /मुख्य अभियन्ता (मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी।

(11) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(12) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर शासन एवं विश्व बैंक को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णतः प्रमाण पत्र शासन एवं एशियन विकास बैंक को प्रेषित किया जाय।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-अन्तर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कें-337- सड़क निर्माण कार्य-97-वाह्य सहायतित परियोजनायें-9703- एशियन डेवलपमेन्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला सड़क विकास परियोजना के डी0पी0आर0 हेतु-24- वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

संख्या-35/2021/227(3)/23-12-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
3- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (परीक्षा-लेखा), उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्त, वाह्य सहायतित परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
11- लोक निर्माण अनु0-10
12- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, विकास भवन, जनपथ, लखनऊ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in